न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—150/2015/75 (201/00267)

1. श्री वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, अजमेर जरिये अध्यक्ष नरेश कुमार जैन पुत्र स्व0 पूनमचंद लुहाड़िया, निवासी सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के ऊपर, चूड़ी बाजार, पुरानी मण्डी, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. जिला कलक्टर, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर ।
2. नगर सुधार न्याास, अजमेर जरिये सचिव नगर सुधार न्यास, अजमेर वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव/आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 25.2.2004 आदेश क्रमांक/राजस्व/एफ—12 (सी)/04/3711/19.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 व 3.
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—3.4.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/एफ—12 (सी)/04/3711/19 दिनांक 25.2.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नंबर 309 रकबा 0—8—0 बारानी एंव खसरा नंबर 310 रकबा 0—14—10 की भूमि जो कि अजेर थोक तेलियान, अजमेर में स्थित है जिसके मूल खातेदार पीरू पुत्र देवा व हिमता पुत्र मेन्दू एवं रहीमा पुत्र न्यामा, जाति तचीता, निवासी रातीडांग थे कि जिनके द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 16.666... 1995 को स्वरूप नारायण पुत्र मदनलाल तिवाड़ी, जाति ब्राहमण, निवासी जंघी चबूतरा, व्यास गली, अजमेर को बेचान कर दी गई एवं कब्जा संभला दिया गया, जिसके पक्ष में नामांतकरण संख्या 522 दिनांक 15.4. 1969 को स्वीकृत किया जाकर खातेदार दर्ज किया गया तद्नूकूल स्वरूप नारायण पुत्र मदनलाल के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र अपीलाधीन भूमि को दिनांक 23.1.1971 को श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि पुरूषोत्तम नारायण, जाति भारद्वाज, कुंवर मनीष कुमार व कुंवर शेलेन्द्र कुमार नाबालिगान पुत्रगण पुरूषोत्तम नारायण को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि पुरूषोत्तम नारायण, जाति भारद्वाज, कुंवर मनीष कुमार व

कुंवर शेलेन्द्र कुमार के पक्ष में नामांतकरण संख्या 714 दिनांक 18.7.1989 को स्वीकृत किया गया । इसके उपरांत श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि पुरूषोत्तम नारायण, जाति भारद्वाज, कुंवर मनीष कुमार व कुंवर शेलेन्द्र कुमार पुत्रगण पुरूषोत्तम नारायण के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 2.9.1989 को अपीलांट को बेचान कर कब्जा संभला दिया जिसके अनुसार अपीलांट के पक्ष में अपीलाधीन भूमि का नामांतकरण संख्या 720 दिनांक 21.4.1990 के अनुसार स्वीकृत किया जाकर वर्तमान अंतिम चौसाला के अनुसार खातेदार दज है तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट के द्वारा चार दीवारी का निर्माण एवं च्द्धषभायतन अध्यात्मधाम, वीतराग विज्ञान जैन नसियां जी, वीतराज विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट का निर्माण भी करवाया गया जो कि वैशाली नगर, अजमेर में स्थित है । अपीलांट के दर्ज नामांतकरण का वर्तमान जमाबंदी में इंद्राज नहीं होने के कारण इस संदर्भ में अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में राजस्व वाद संख्या 85/1996 वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट अजमेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर प्रस्तुत किया गया जिहस पर निर्णय दिनांक 31.7.2003 के अनुसार अपीलांट के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें यह निर्देश दिये गये कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में नामांतकरण संख्या 522, 714 व 720 का इंद्राज वर्तमान जमाबंदी में दर्ज किया जावे, निर्णय व डिक्री पारित की गई । इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/एफ–12 (सी)/04/3711/19 दिनांक 25.2.2004 की क्रम संख्या 22 व 23 के द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 309 व 310 को रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम अवैधानिक रूप से हस्तातंरित कर दी । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 309 व 310 जो कि अजमेर थोक तेलिया, अजमेर में स्थित है जिसे अपील में दर्शाये अनुसार अपीलांट के द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैनामे के खरीद की गई तथा वर्तमान जमाबंदी के अनुसार भी अपीलांट के ही नाम इंद्राज दर्ज है, अपीलांट का ही कब्जा है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र से परे एवं अवैधानिक रूप से अपीलाधीन भूमि को नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के संबंध में आदेश दिनांक 256.2.2004 को पारित किया जबकि अपीलाधीन भूमि अपीलांट की मिल्कियत है इस कारण अपीलाधीन भूमि में अपीलांट के हित निहित है । अतः अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा दिनांक 1.5.2015 को पटवारी हल्का अजमेर थोक तेलियान से संपर्क कर अपीलाधीन भूमि की वर्तमान जमाबंदी की मांग की गई जिस पर अपीलांट को यह बताया कि अपीलाधीन भूमि को जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 25.2. 2004 के अनुसार नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित कर दिया गया । इस प्रकार अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 1.5.2015 को हुई । इसके पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी कर, निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब

सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ासरा नंबर 309 रकबा 0–8–0 बारानी एंव खसरा नंबर 310 रकबा 0–14–10 की भूमि जो कि अजेर थोक तेलियान, अजमेर में स्थित है जिसके मूल खातेदार पीरू पुत्र देवा व हिमता पुत्र मेन्दू एवं रहीमा पुत्र न्यामा, जाि तचीता, निवासी रातीडांग थे कि जिनके द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 16. 666...1995 को स्वरूप नारायण पुत्र मदनलाल तिवाड़ी, जाति ब्राहमण, निवासी जंघी चबूतरा, व्यास गली, अजमेर को बेचान कर दी गई एवं कब्जा संभला दिया गया, जिसके पक्ष में नामांतकरण संख्या 522 दिनांक 15.4.1969 को स्वीकृत किया जाकर खातेदार दर्ज किया गया तद्नूकूल स्वरूप नारायण पुत्र मदनलाल के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र अपीलाधीन भूमि को दिनांक 23.1.1971 को श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि पुरूषोत्तम नारायण, जाति भारद्वाज, कुंवर मनीष कुमार व कुंवर शेलेन्द्र कुमार नाबालिगान पुत्रगण पुरूषोत्तम नारायण को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि पुरूषोत्तम नारायण, जाति भारद्वाज, कुंवर मनीष कुमार व कुंवर शेलेन्द्र कुमार के पक्ष में नामांतकरण संख्या 714 दिनांक 18.7.1989 को स्वीकृत किया गया । इसके उपरांत श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि पुरूषोत्तम नारायण, जाति भारद्वाज, कुंवर मनीष कुमार व कुंवर शेलेन्द्र कुमार पुत्रगण पुरूषोत्तम नारायण के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 2.9.1989 को अपीलांट को बेचान कर कब्जा संभला दिया जिसके अनुसार अपीलांट के पक्ष में अपीलाधीन भूमि का नामांतकरण संख्या 720 दिनांक 21.4.1990 के अनुसार स्वीकृत किया जाकर वर्तमान अंतिम चौसाला के अनुसार खातेदार दज है तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट के द्वारा चार दीवारी का निर्माण एवं च्द्धषभायतन अध्यात्मधाम, वीतराग विज्ञान जैन नसियां जी, वीतराज विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट का निर्माण भी करवाया गया जो कि वैशाली नगर, अजमेर में स्थित है । विवादित अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है किन्तु उक्त नामांतकरण का वर्तमान अंतिम चौसाला जमाबंदी में इंद्राज नहीं किया गया है इस कारण अपीलांट के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 85/1996 वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट बनाम राज0सरकार जरिये तहसीलदार अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी/अपीलांट के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनाक 31.7.2003 को पारित कर अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में नामांतकरण संख्या 522, 714 व 720 का इंद्राज वर्तमान अंतिम चौसाला जमाबंदी में किये जाने के संदर्भ में निर्णय व डिक्री पारित की गई तद्नूकूल वर्तमान अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार अपीलाधीन भूमि के नामांतकरण का इंद्राज किया गया , इस प्रकार अपीलाधीन भूमि वर्तमान अंतिम चौसाला जमाबंदी के अनुसार अपीलांट के नाम दर्ज है एवं अपीलांट का ही भौतिक एवं विधिकी कब्जा खरीद दिवस से चला आ रहा है ।

7. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के चौतरफ पक्की चारदीवारी व ऋषभायतन अध्यात्मधाम, वीतराग विज्ञान जैन नसियां जी, मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है जो कि धार्मिक मंदिर आज भी स्थापित है जो कि जैन धार्मवलंबियों का आस्था केन्द्र है । विवादित भूमि सिवायचक नहीं थी परन्तु विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि की मौका एवं रिकार्ड की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.2.2004 द्वारा अविधिक रूप से रेस्पो0 संख्या 2 नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित कर दी जबकि

अधी0न्याया0 को इसका विधिक अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में तहसीलदार, अजमेर के द्वारा भी जिला कलक्टर, अजमेर को पत्र क्रमांक 10079 दिनांक 21.12.2011 के अनुसार यह उललेख किया गया है कि अपीलाधीन भूमि जो कि अपीलांट की है, सिवायचक भूमि नहीं है '' जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में नामांतकरण संख्या 522, 714 व 720 अंकत करते हए खाता नंबर 1 में उक्त वादी संस्था के नाम अंकन किया गया किन्तु जमाबंदी में उक्त पृष्ठ जिस पर इंद्राज किया गया है वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से पृष्ठ के फट जाने से वर्ष 2004 में ही सिवायचक भूमियों के साथ अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 309 व 310 को भी जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 25.2.2004 की अनुपालना में सहवन से नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित कर दी गई थी ।'' इस प्रकार तहसीलदार के इस पत्र से स्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की आराजियात है न कि सिवायचक । विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जे एवं निर्माण की पुष्टि पटवारी हल्का की वास्तविक मौका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2011 से होती है । विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की आराजियात है जिसे बिना विधिक प्रकिया अपनाये उसके खातेदारी अधिकार सामान्य प्रशासनिक आदेशों से समाप्त नहीं किये जा सकते है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश के क्रम संख्या 6 में यह शर्त दर्शायी गयी है कि यह आदेश हस्तातंरित की गई भूमि पर यदि किसी प्रकार वैध हक है, अथवा वैध हक अर्जित होने योग्य है तो उसको प्रभावित नहीं करेगा ।'' इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के क्रम संख्या 6 में दर्शायी शर्त के अनुसार भी अपीलाधीन आदेश विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.2.2004 विवादित भूमि खसरा नंबर 309 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 310 रकबा 14 बिस्वा की हद तक निरस्त किया जावे।

8. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 3 ने संयुक्त रूप से कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तातंरित की है । अधी0न्याया0 के आदेश में किस प्रकार त्रुटि है अपीलांट ने साबित नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

10. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि विवादित भूमि पर अपीलांट एवं उसके विक्रेताओं का विवादित भूमि पर कदीमी समय से कब्जा चला आ रहा है तथा विवादित भूमियां अपीलांट के विक्रेता के पूर्वजों के नाम खातेदारी से दर्ज रही है। अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया है । अधी0न्याया0 के आदेश से अपीलांट के हक प्रभावित होना प्रकट होते है। हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.2.2004 के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिव प्रतीत होते है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व

अपीलांट को सुना नहीं गया था जबकि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट का राजस्व वाद सहायक कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में विचारधीन है । अपीलाधीन आदेश की जानकारी आदेश दिनांक को अपीलांट को होना नहीं माना जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

12. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 309 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 310 रकबा 0—14—10 बीघा मूल खातेदारान पीरू, हिमता, व रहीमा द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 16.6.1965 को स्वरूपनारायण पुत्र मदनलाल तिवाड़ी को बेचान कर कब्जा दिया गया एवं स्वरूपनारायण के पक्ष में उक्त विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामांतकरण संख्या 522 दिनांक 15.4.1969 को तस्दीक किया गया तत्पश्चात् स्वरूप नारायण पुत्र मदनलाल द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैनामा अपीलाधीन भूमि दिनांक 23.1.1971 को श्रीमती शकुन्तलादेवी पत्नि पुरूषोत्तम नारायण, मनीष कुमार व शेलेन्द्र कुमार पुत्रगण पुरूषोत्मम नारायण को बेचान कर कब्जा दिया गया तथा उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामांतकरण संख्या 714 दिनांक 18.7.1989 को स्वीकृत किया गया । तत्पश्चात् उपरोक्त तीनों क्रेता खातेदारान श्रीमती शकुन्तलादेवी पत्नि पुरूषोत्तम नारायण, मनीष कुमार व शेलेन्द्र कुमार पुत्रगण पुरूषोत्मम नारायण द्वारा पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 2.9.1989 को अपीलांट को बैचान कर कब्जा संभला दिया गया जिसके आधार पर अपीलांट के पक्ष में अपीलाधीन भूमियों का नामांतकरण संख्या 720 दिनाक 21.4.1990 को स्वीकृत किया जाकर खातेदार दर्ज किया गया । संवत् 2022 से 2025 की जमाबंदी जीर्णशीर्ण होने के कारण और उसमें उपरोक्त नामांतकरण का इंद्राज नहीं होने के कारण अपीलांट द्वारा एक राजस्व घोषणात्मक वाद संख्या 85/96 वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट अजमेर बनाम राज0सरकार जरिये तहसीदार, अजमेर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य व सुनवाई कर गुणावगुण पर दिनांक 31.7.2003 को अपीलांट के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित कर यह आदेशित किया कि उपरोक्त तीनों नामांतकरण संख्या 522 दिनांक 15.4. 1969, नामांतकरण संख्या 714 दिनांक 18.7.1989 एवं नामांतकरण संख्या 720 दिनांक 21.4.1990 का वर्तमान प्रचलित जमाबंदी में इंद्राज करे । उपरोक्त निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा प्रचलित जमाबंदी में उपरोक्त तीनों नामांतकरण का इंद्राज कर खातेदार दर्ज कर दिया गया । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं निर्णय व डिक्री से यह सिद्ध है कि अपीलांट विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार दर्ज रहे तथा तहसीलदार, अजमेर के पत्र क्रमांक भू.अ. /विविध/11/10079 दिनांक 21.12.2004 एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 19.12.2011 से विवादित आराजियात पर कब्जा अपीलांट का होकर विवादित भूमि पर मंदिर निर्मित्त होना एवं प्रचलित जमाबंदी में खातेदार दर्ज होना अंकित किया है तथा साथ ही यह भी कथन किया है कि सहवन से उपरोक्त खसरा नंबर नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित कर दिये गये है । अपील के विचाराधीन रहते पैरोकार सरकार द्वारा भी दिनांक 24.4.2017 को वर्तमान प्रचलित जमाबंदी एवं मौका पर्चा दिनांक 21.8.2015 प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित खसरा नंबर जमाबदी संवत् 2022 से 2025 में अपीलांट के नाम दर्ज है एवं मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 21.7.2015 के अनुसार चारदीवारी में जैन मंदिर निर्मित्त है व पटवारी व तहसीलदार की पूर्व में दी गई मौका रिपोर्ट में भी उक्त खसरा नंबरान सहवन से नगर सुधार न्यास, अजमेर

के नाम दर्ज होना बताया है । तहसीलदार, अजमेर के पत्र क्रमांक भू.अ. /विविध/11/10079 दिनांक 21.12.2004 एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 19.12.2011 एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट एवं प्रचलित जमाबंदी के अनुसार विवादित खसरा नंबर 309 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 310 रकबा 00–14–10 बीघा की भूमि अजमेर थोक तेलियान, अजमेर की भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जिस पर चारदीवानी बनी होकर मंदिर निर्मित्त है परन्तु सहवन से नगर सुधार न्यास, अजमेर रेस्पो0 संख्या 2 के नाम विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 25.2.2004 से हस्तातंरित कर दी गई जो अविधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि को बिना अवाप्त किये तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उसके हक व अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है और न ही हस्तातंरित की जा सकती है । प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है कि विवादित भूमि विधिक प्रक्रिया अपना अवाप्त की जाकर नगर सुधार न्यास, अजमेर रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की हो । श

13. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश क्रमांक/राजस्व/एफ–12 (सी)/04/3711/19 दिनांक 25.2.2004 ग्राम थोक तेलियान, अजमेर के खसरा नंबर 309 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 310 रकबा 00–14–10 बीघा की हद तक निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है ।

14. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश क्रमांक/राजस्व/एफ–12 (सी)/04/3711/19 दिनांक 25.2.2004 ग्राम थोक तेलियान, अजमेर के खसरा नंबर 309 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 310 रकबा 00–14–10 बीघा की हद तक निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 3.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर